न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर,कैम्प उज्जैन

प्रकरण कमाक /16 अ.रे

1.केशरबाई बेवा मॉगीलाल उम्र 68 साल
2.रामसिंह पिता मॉगीलाल उम्र 46 साल
3. लक्ष्मण पिता मॉगीलाल उम्र 35 साल
4.फुल्लीबाई पिता मॉगीलाल उम्र 48साल
5. इमरतबाई पिता मॉगीलाल उम्र 42 साल
6. समनबाई पिता मॉगीलाल उम्र 44 साल
7. कल्लीबाई पिता मॉगीलाल उम्र 38 साल
समस्त चमार, निवासीगण राघोखेडी, तहसील कालापीपल जिला शाजापुर ....

निगरानीकर्ता

बनाम

1.संतोषकुंवरपति करणसिंह, राजपुत, निवासी राघोखेडी, तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.
2.म.प्र.शासन द्वारा ग्राम पटवारी राघोखेडी तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.

.... विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्नानुसार निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

निर 2

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

यहकि, आवेदक/निगरानीकर्ता की भूमि के पास भूमि सर्वे क्रमाक319 रकबा 0.010 है 416 रकबा 0.700 है 426 रकबा 0.050 है कुल किता 3 कुल रकबा 0.760हैकटर लगानी 28 रूपये 76 पैसे का ग्राम राघोखेडी प.ह.मोहम्मदपुर मछनोई तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र. मे स्थित है उसके पास में स्थित विपक्षी क्रमाक 1 की भूमि स्थित है जिसका सर्वे क्रमाक 415रकबा 0.230 हैक्टर होकर उक्त भूमि का सीमांकन विपक्षी क्रमाक 1 द्वारा बिना निगरानीकर्तागण की जानकारी व उपस्थिति मे कराया गया जिसकी सूचना सभी निगरानीकर्ता जो कि उक्त भूमि के संयुक्त भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है उनको नही दी गई और पटवारी ग्राम राघोखेडी के द्वारा विपक्षी कमाक 1 के कहे अनुसार बिना कांकड चॉदा का निर्धारण किये अवैध तरीके से की गई हैं जबकि वास्तविकता यह है कि निगरानीकर्तागण अपनी भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहे है । ग्राम पटवारी राघोखेडी के द्वारा सीमांकन पंचनामा,हद रसीद आदि की जानकारी भी निगरानीकर्तागण को नही दी गई निगरानीकर्तागण के द्वारा दिनांक 7.11.16 को दूसर व्यक्तियों से जानकारी मिलने के पश्चात उक्त सीमांकन पंचनामा एवं रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार कालापीपल से दिनांक 7.11.16 को मिलने से उक्त निगरानी ग्राम पटवारी द्वारा किया गया दूषित सीमांकन से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत है ।

// निगरानी के आधार //

1/ यहकि, ग्राम पटवारी राघोखेडी के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये निगरानीकर्ताण को बिना सूचनापत्र व जानकारी दिये निगरानीकर्तागण की अनुपस्थिति मे बनाया गया पंचनामा,हद रसीद के तहसीलदार महोदय, के समक्ष प्रस्तुत किया वह विधि विधान के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है ।

निर 3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

15

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 4378/PBR/16 जिला - आगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार कानडपुर के प्रकरण क्रमांक 61/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 31-8-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर आगर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर आगर के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	